दैनिक
न्याय साक्षी

महत्वपूर्ण एवं खास

राजिमकुंभ में आएंगे बागेश्वरधाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री

रायपुर (आरएनएस)। राजिम कुंभ 2025 में पंडित धीरेंद्र शास्त्री आएंगे। सीएम विष्णु देव साय के निर्देश पर राजिम विधायक रोहित साहू ने बाबा बागेश्वर धाम पहुंचकर पीठाधीश्वर पं. बागेश्वर धाम सरकार को आगामी राजिम कुंभ (कल्प) 12 से 26 फ़रवरी तक, में कथावाचन करने व दरबार लगाने हेतु सहृदय आमंत्रित किया। इस दौरान पं. धीरेन्द्र शास्त्री ने आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार किया। इस दौरान बसंत अग्रवाल, राजू साहू मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के प्रयागराज के रूप में प्रसिद्ध राजिम में 12 फरवरी से 26 फरवरी तक कुंभ कल्प का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष यह अद्भुत धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन 52 एकड़ के नए प्रस्तावित मेला स्थल पर संपन्न होगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंत्रालय में शुक्रवार को राजिम कुंभ कल्प की तैयारियों के संबंध में उ'च स्तरीय समीक्षा बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए।

कोर्ट परिसर में आरोपी की पिटाई करने वाले वकीलों के खिलाफ अपराध दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। हाल ही में एक बीमार वकील पर जानलेवा हमले को लेकर आक्रोशित वकीलों ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट परिसर में ही आरोपी की जमकर पिटाई कर दी थी. इस घटना में शामिल अज्ञात वकीलों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है. इस घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी वकीलों की पहचान करने में जुट गई है। दरअसल, मामला शुक्रवार का है, जब कोर्ट परिसर में वकीलों ने पुलिस अभिरक्षा के बीच बंदी अजय सिंह की पिटाई कर दी थी. अजय सिंह पर आरोप है कि उसने 16 जनवरी (गुरुवार) को शिवानंद नगर में वरिष्ठ वकील दुर्गेश शर्मा पर जानलेवा हमला किया था। पीड़ित वकील की शिकायत पर खमतराई पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर शुक्रवार को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपी अजय सिंह को कोर्ट में पेश किया. लेकिन पुलिस सुरक्षा के बीच भी आक्रोशित वकीलों ने मौका पाकर आरोपी की पिटाई कर दी।

डिलवरी कंपनी से 3 लाख से अधिक रकम की हेराफेरी

रायपुर (आरएनएस)। डिलवरी कंपनी गुमा में 3 लाख 63 हजार से अधिक का रकम गबन करने का मामला प्रकाश में आया है। प्रार्थी की शिकायत पर उरला पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार विष्णुचरण पटेल 41 वर्ष एम्स अस्पताल के सामने टाटीबंध का रहने वाला है। प्रार्थी का गुमा में डिलवरी कंपनी है, जिसमें आरोपी अडला सोमेश्वर राव एज्यूकेटिव के पद पर कार्यरत था। इस दौरान आरोपी ने कंपनी के पैसा 3 लाख 43 हजार 927 रुपए का हेराफेरी किया। प्रार्थी की शिकायत पर उरला पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

अवैध शराब के साथ तीन गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। अलग-अलग थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से कुल 55 पाव देशी शराब जब्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार नेवरा पुलिस ने मंडी के पास अवैध शराब परिवहन करते बाइक सवार यशवंत कुमार वर्मा 57 वर्ष व एक अन्य को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन दोनों के पास से बाइक में रखे बोरी में 35 पाव देशी शराब जब्त किया है। वहीं माना पुलिस ने ग्राम बनरसी नहर पुलिया के पास आरोपी चमेली डहरिया 38 वर्ष को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके पास से 20 पाव देशी शराब जब्त किया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है।

चरित्र पर संदेह कर पत्नी को उतारा मौत के घाट, आरोपी गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। कमल विहार सेक्टर 4 स्थित ईडब्लूएस कालोनी में एक युवक ने अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह कर हत्या कर दी। मामले में टिकरापारा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार मृतिका हेमलता यादव 27 वर्ष अपने पति गजेन्द्र यादव 30 वर्ष के साथ कमल विहार सेक्टर 4 स्थित ईडब्लूएस में रहती थी। बताया जाता है कि आरोपी गजेन्द्र यादव ने अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह कर विवाद किया और फिर सीमेंट से भरे बाल्टी से हेमलता के सिर पर वार कर हत्या कर दी। मामले में टिकरापारा पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है।

साय कैबिनेट की बैठक : धान की अंतर राशि का एकमुश्त होगा भुगतान, अतिशेष धान की होगी ऑनलाइन नीलामी

रायपुर । आरएनएस

नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय चुनाव से पहले साय कैबिनेट की अंतिम बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य 2300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जा रही है, इसमें प्रति क्विंटल अंतर की राशि 800 रुपए का भुगतान एकमुश्त फरवरी 2025 में सरकार प्रदान करेगी. कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में उपार्जित धान में से अतिशेष धान की नीलामी को ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से निराकरण करने का निर्णय लिया है.

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने साय कैबिनेट में लिए महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी. इसमें कैबिनेट की बैठक में किसानों के हित में आज एक बड़ा निर्णय लिया गया. इस निर्णय के तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी के अनुरूप इस साल भी समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले राज्य के लगभग 27 लाख किसानों को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित दर के अनुसार 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा.

इस साल किसानों से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य 2300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जा रही है, जिसका भुगतान किसानों को किया जा रहा है तथा प्रति क्विंटल अंतर की राशि 800 रुपए छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को आदान सहायता के रूप में एकमुश्त फरवरी 2025 में प्रदान करेगी.

कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में उपार्जित धान में से अतिशेष धान की नीलामी को ऑनलाईन प्लेटफार्म के माध्यम से निराकरण करने का निर्णय लिया है. कैबिनेट ने विधानसभा सत्र में किए गए घोषणा के अनुपालन में राज्य के कलाकारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया है.

अर्थाभावग्रस्त लेखकों और कलाकारों एवं उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्कृति विभाग द्वारा संचालित छत्तीसगढ़ कलाकार कोष नियम 1982 में संशोधन कर राज्य के कलाकारों को 25 हजार रूपए के स्थान पर अब अधिकतम 50 हजार रूपए की सहायता एवं मृत्यु होने पर 01 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान किए जाने का निर्णय लिया है.

छत्तीसगढ़ राज्य के युवाओं को वित्तीय बाजारों, निवेश के साधनों एवं वित्तीय नियोजन के क्षेत्र में उपयुक्त कौशल तथा आवश्यक ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छात्र स्किलिंग प्रोग्राम (एसएसपी) के तहत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया गया है. यह प्रशिक्षण हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल तथा कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए संचालित किया जाएगा.

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग में अपर आयुक्त आबकारी का एक नवीन पद (वेतन मेट्रिक्स लेवल-15) का सृजन करने का निर्णय लिया गया. नवा रायपुर अटल नगर में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रयोजन हेतु सत्य सांई हेल्थ एवं एजुकेशन ट्रस्ट को अतिरिक्त 05 एकड़ भूमि नि:शुल्क आबंटित करने का निर्णय लिया गया.

छत्तीसगढ़ विशेष क्षेत्र (अचल संपत्ति का व्ययन) नियम, 2008 के तहत् नवा रायपुर अटल नगर में स्थापना हेतु 40 एकड़ भूमि रियायती दर पर आबंटित करने का निर्णय लिया गया. नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की नया रायपुर आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2017 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया.

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के द्वारा निर्मित 5 वर्ष से अधिक समय से नहीं बिके हुए आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों को एकमुश्त निपटान हेतु लागत मूल्य (बेस रेट) से 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत तथा 30 प्रतिशत छूट देकर विक्रय करने का निर्णय लिया गया.

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 अंतर्गत एक लाख 32 हजार हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए कुल अनुदान राशि 3938.80 करोड़ है, जिसमें अनिवार्य राज्यांश 1450 करोड़ रूपए एवं अतिरिक्त राज्यांश 538 करोड़, जो कि मकान पूर्ण करने अथवा गृह प्रवेश पर दिया जाएगा, का अनुमोदन किया गया.

कैबिनेट ने महिला स्व-सहायता समूह के हित को ध्यान में रखते हुए रेडी टू ईट निर्माण का काम महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपने का निर्णय लिया है. पहले चरण में रेडी टू ईट निर्माण का कार्य 5 जिलों में महिला स्व-सहायता समूहों को दिया जाएगा.

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों में संशोधन किए जाने हेतु विभिन्न धाराओं में संशोधन संबंधी जारी अध्यादेश की समयावधि को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया.

हाईवोल्टेज ड्रामा के बाद बेकसूर निकला सैफ अली का संदेही हमलावर

दुर्ग-रायपुर । आरएनएस

रातभर के तमाशे के बाद एक्टर सैफ अली खान पर हुए हमले में दुर्ग में हिरासत में लिए गए संदेही युवक आकाश कनौजिया को छोडक़र मुंबई पुलिस के अधिकारी वापस लौट गए. अब युवक अपने खर्च पर वापस मुंबई जा रहा है।

बता दें कि मुम्बई पुलिस द्वारा जारी सीसीटीवी फुटेज और फोटो के आधार पर दुर्ग रेलवे पुलिस ने मुम्बई के हिस्ट्री शीटर बदमाश आकाश कनौजिया को शनिवार को दोपहर 1.30 बजे ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस से हिरासत में लिया था. दुर्ग रेलवे पुलिस की पूछताछ में युवक ने बताया था कि वह जांजगीर जिले के नैला में सिटी कोतवाली क्षेत्र के दीरा नगर में रहने वाली अपनी नानी बेबा तुलसा यादव से मिलने जा रहा है।

संदेह के आधार पर युवक को पकडऩे के बाद दुर्ग रेलवे पुलिस ने मुंबई पुलिस को सूचित किया था. जानकारी के अनुसार, युवक एनडीपीएस के अपराध में 6 महीने आंध्रप्रदेश के जेल में बंद था. वहीं उसके खिलाफ मारपीट, चाकूबाजी के कई मामले मुम्बई के अलग-अलग थानों में दर्ज है. सैफ अली खान के घर चोरी और हमले में शामिल होने के संदेह पर मुंबई पुलिस के एसआई प्रदीप फुन्दे पूछताछ करने दुर्ग पहुंचे थे. पूछताछ में युवक की घटना में सलिप्तता सामने नहीं आने पर छोड़ दिया गया।

छत्तीसगढ़ विस का बजट सत्र : सरकार ने 24 फरवरी से 21 मार्च तक कराने का भेजा प्रस्ताव

रायपुर । आरएनएस

छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से 21 मार्च तक संभव है। सरकार ने विधानसभा को इसका प्रस्ताव भेज दिया है हालांकि विधानसभा से प्रस्ताव के संबंध में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन माना जा रहा है कि शासन ने जो तिथि प्रस्तावित की है, उसी के मुताबिक बजट सत्र बुलाया जाएगा। सत्र के दौरान बजट पेश किया जाएगा। राज्य सरकार वर्ष 2025- 26 का बजट बनाने की तैयारी तेजी से कर रही है।

बजट बनाने के संबंध में विभिन्न स्तरों पर चर्चा का दौर महीनों से चल रहा है। यह प्रक्रिया अंतिम दौर में है। अब तक सचिव स्तरीय चर्चा लगभग पूरी हो चुकी है। इसके बाद वित्त मंत्री के साथ विभागीय मंत्रियों की अलग-अलग बैठकें होंगी। इन बैठकों में विभागीय बजट और उसमें शामिल नवीन मद की योजनाओं के लिए सहमति दी जानी है। मंत्रि स्तरीय बजट चर्चा के बाद प्रस्तावित बजट के स्वरूप को राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद विधानसभा के बजट सत्र में वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे।

बढ़ेगा बजट का आकार

छत्तीसगढ़ के नए बजट का आकार पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 5 से 7 प्रतिशत तक बढऩे की संभावना है। वित्त विभाग ने बजट बनाने की प्रक्रिया शुरु होने के समय ही ये साफ किया था कि सभी विभाग नवीन व्यय के प्रस्तावों को सूक्ष्म परीक्षित के रूप में शामिल कराएं। वर्ष 2025- 26 के बजट में अपरीक्षित व्यय के नवीन मदों के स्थान पर परीक्षित मद के रूप में प्रस्तावों को वरीयता दी जाएगी। अपरीक्षित नवीन मद के प्रस्ताव केवल मंत्री-स्तरीय चर्चा में ही विचार किये जाएंगे। इसके साथ ही नई सेवा सेवा का नया साधन के संशोधित सीमाओं के अनुसार उपलब्ध कराने कहा गया था।

तुरमेल पुजारी कांकेर मुठभेड़ मे मारे गए 12 माओवादियों में 10 कि हई शिनाख्त

- मारे गये माओवादियों पर 59 लाख रूपये का था ईनाम
- माओवादियों ने पर्चा जारी कर 12 नही 18 माओवादियों के मारे जाने की पुष्टि की, जिसमे तेलंगाना स्टेट कमेटी सदस्य 50 लाख का इनामी दामोदर की भी हुई मौत

बीजापुर । आरएनएस

दक्षिण बस्तर के तुरमेल और पुजारी कांकेर के जंगलों में पुलिस की संयुक्त टीम के साथ माओवादियों की हुई मुठभेड़ में जवानों ने 12 हार्डकोर माओवादियों को मार गिराया था। मारे गये माओवादियों में 10 की शिनाख्त हो चुकी है। वहीं द्वह्य मुठभेड़ में 12 नही 18 माओवादियों के मारे जाने की जानकारी माओवादी पर्चा में उल्लेख है। जिसमे तेलंगाना स्टेट कमेटी सदस्य दामोदर भी शामिल है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 12 में से 10 माओवादियों की शिनाख्त कर लिया गया है। मारे गये माओवादियों में बटालियन नंबर 01 कम्पनी नंबर 02 सदस्य तमो हूँगी पर 8 लाख रूपये का ईनाम घोषित था। वहीं कम्पनी नंबर 02/टेक्निकल टीम सदस्य नरसिंह राव पर 08 लाख का ईनाम, सीआरसी/ष् मंगडू पर 08 लाख का ईनाम, प्लाटून नंबर 30 माड़वी देवे पर 08 लाख, डिवीजन टेक्निकल टीम/एसीएम माड़वी जोगा पर 05 लाख, कोंटा एरिया कमेटी सदस्य नुप्पो सोमड़ी पर 05 लाख, दक्षिण सब ज़ोनल ब्यूरो टेक्निकल टीम पीपीसीएम इरपा सिते पर 05 लाख, कोंटा एरिया कमेटी प्लाटून नंबर 04 सदस्य डोडी वासु पर 05 लाख, उईका आयतु पर 05 लाख और गोलापल्ली एलओएस पार्टी सदस्य पोटाम मंगली पर दो लाख रूपये का ईनाम घोषित था।

यह मुठभेड़ माओवादियों के लिए बड़ा झटका-सुंदराज पी

बस्तर आईजी सुंदराज पी ने उक्त मुठभेड़ को माओवादियों के लिए बड़ा झटका बताया है। आईजी ने कहा की 18 जनवरी को माओवादियों द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर तेलंगाना राज्य समिति केडर दामोदर सहित 18 कैडरों को नुकसान पहुंचने की बात स्वीकार किया है, यह माओवादियों के महत्वपूर्ण मजबूत पकड़ क्षेत्र में एक बड़ा झटका है, दामोदर का उन्मूलन छत्तीसगढ़ तेलंगाना अंतरराज्यी सीमा के साथ माओवाद आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका है।

तीन ईनामी नक्सली चढ़े पुलिस के हत्थे

सुकमा-रायपुर (आरएनएस)। जिले में नक्सलवाद के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. जिले के थाना चिंतागुफा क्षेत्र में पुलिस ने 2 ईनामी नक्सली समेत कुल 3 माओवादियों को धर दबोचा है. गिरफ्तार नक्सलियों में से 1 नक्सली पर 2 लाख रुपये और 1 नक्सली पर 1 लाख रुपये का इनाम था. गिरफ्तार नक्सली साल 2024 में दुलेड़ के पास हुए एक पीकअप वाहन लूटपाट और वाहन में आग लगाने की घटना में शामिल थे. चिंतागुफा पुलिस बल और डीआरजी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया है.पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, दक्षिण बस्तर डिवीजन के नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे उन्मूलन अभियान के तहत, 16 जनवरी 2025 को थाना चिंतागुफा से जिला बल और डीआरजी की संयुक्त पार्टी दुलेड़, मेटागुड़ा, एर्रनपल्ली और आसपास के जंगल क्षेत्रों में नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना हुई थी. इस दौरान, दुलेड़ के जंगल क्षेत्र में कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को देखा गया, जो पुलिस पार्टी को देखकर भागने लगे. पुलिस ने घेराबंदी कर तीन संदिग्धों को पकड़ा, जो बाद में नक्सली निकले. पुलिस की पूछताछ में नक्सलियों ने बताया वे दुलेड़ में पीकअप वाहन से लूटपाट आगजनी घटना समेत जिले में हुई अन्य नक्सली घटनाओं में भी शामिल थे. इस घटना के संबंध में थाना चिंतागुफा में पहले ही अपराध क्रमांक 03/2024 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था।

छत्तीसगढ़ में ठंड का कहर जारी, अगले तीन दिनों में और गिरेगा पारा

रायपुर । आरएनएस

छत्तीसगढ़ में सर्द हवाओं का दौर जारी है. कुछ इलाकों में कड़ाके की ठंडी से लोग परेशान हैं तो कहीं शीतलहर कहर बरपा रही है. छत्तीसगढ़ में ठंड बढऩे वाली है. प्रदेश में आज मौसम साफ रहने की संभावना है. साथ ही तापमान में 2 डिग्री तक गिरावट हो सकती है. मौसम विभाग ने आज कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है. अगले 3 दिनों में 2-3 डिग्री की गिरावट हो सकती है. शुक्रवार को सबसे अधिकतम तापमान 30 डिग्री दुर्ग में दर्ज किया गया. वहीं सबसे ठंडा नारायणपुर रहा, यहां 9.6 डिग्री दर्ज किया गया.

मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा के अनुसार, छत्तीसगढ़ में आज मौसम साफ रहेगा. न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी. बस्तर संभाग में 19 जनवरी तक पारा गिरेगा, जिसके बाद यह बढऩे के क्रम में आ जाएगा. सुबह के वक्त कोहरा छाया रह सकता है.

राजधानी रायपुर में आज मौसम साफ रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने आज धुंध रहने की संभावना जताई है. अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहने की संभावना जताई है।

ग्राम तराईमाल में अवैध महुआ शराब पर पूंजीपथरा पुलिस की रेड, 10 लीटर शराब जब्त, एक गिरफ्तार

रायगढ़

दिनांक 19.01.2025 को थाना पूंजीपथरा पुलिस ने ग्राम तराईमाल में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ कार्रवाई की। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर धनवार पारा के निवासी बसंत कुमार बंजारा के घर पर छापा मारा गया।

पुलिस टीम ने गवाहों की उपस्थिति में बसंत कुमार बंजारा के घर की तलाशी ली, जहां आंगन में छिपाकर रखी गई दो प्लास्टिक जरिकेन में 10 लीटर महुआ शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत 1,000 रुपये है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अवैध शराब रखने की बात स्वीकार की।

पुलिस ने मौके से शराब जब्त कर आरोपी बसंत कुमार बंजारा (उम्र 40 वर्ष) के खिलाफ धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। इस कार्रवाई में सहायक उप निरीक्षक विजय कुमार एक्का, आरक्षक सुरेंद्र यादव, और निर्दोष लकड़ा शामिल थे।

थाना पूंजीपथरा पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि अवैध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

सोशल मीडिया इंस्टाग्राम में गंन्दी, भद्दे कमेन्ट करने वाला युवक चन्द घंटे मे गिरफ्तार

- कांकेर पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कॉमेंट करने वाले युवक पर तत्काल कड़ी कार्रवाई

कांकेर । आरएनएस

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी गौरव शास्त्री पिता स्व. इंद्रपाल शास्त्री उम्र 33 वर्ष राजापारा कांकेर निवासी ने लिखित आवेदन पेश किया इंस्ट्राग्राम आई डी के धारक द्वारा हिन्दू धर्म के विरूद्ध अभ्रद्र टिप्पढ़ी कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचाया है। प्रार्थी दिनांक 18.01.2025 को दोपहर मे जब अपने इंस्ट्राग्राम सोशल मिडिया मे विडियो देख रहा था तब इंस्ट्राग्राम आई डी कामरेड_कामेश के धारक ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते ''अश्लील गाली'' लिखकर कमेन्ट किया है,जिससे हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा है और भावनायें आहत हुई है एवं हिन्दू धर्म के प्रति आस्था रखने वालो को एवं अन्य धर्मों के मानने वालो के बीच शत्रुता एवं सौहार्द को बिगाडने का कार्य किया गया है। इंस्ट्राग्राम आई डी के धारक के विरूध्द उचित कार्यवाही करने आवेदन पर आरोपी इंस्ट्राग्राम आई डी धारक के विरूद्ध अपराध क्रमांक -29/2025 धारा-196,299, 238 बीएनएस, 67(क) आई.टी. एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। प्रकरण में श्रीमान उ.म.नि. एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आई.के.एलेसेला (भा. पु.से.) के निर्देशन में,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिन्हा एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कांकेर मोहसीन खान के मार्गदर्शन में थाना कांकेर से टीम गठित कर संदेही/आरोपी की सायबर सेल कांकेर वास्तविक पहचान कर तत्काल पतासाजी करते हुवे पुलिस टीम द्वारा आरोपी कामेश कुमार मंडावी पिता पीलाराम मंडावी उम्र 19 वर्ष निवासी लिलवापहर थाना नरहरपुर जिला उ.ब. कांकेर हाल- बड़े किलेपार थाना कोड़ेनार जिला बस्तर (छ.ग.) को स्थान बड़े किलेपार जिला बस्तर से हिरासत में लिया गया।जिससे पुछताछ करने पर धारा सदर का अपराध स्वीकार करने पर आरोपित का मोबाईल फोन को जप्त किया गया। एवं आरोपी कामेश कुमार मंडावी को दिनाँक 19.01.2025 को गिरफ्ताार किया गया है। जिसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है। सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी कांकेर निरीक्षक मनीष नागर के आदेशानुसार उप निरीक्षक मनोरथ जोशी,सउनि वेदन सलामे, प्रधान आरक्षक गीतेशवर कुलदीप, आरक्षक शैलेन्द्र चतुर्वेदी, आरक्षक गजेन्द्र नागवंशी एवं सायबर सेल प्रभारी निरीक्षक प्रेम प्रकाश अवधिया, आरक्षक शैलेन्द्र साहू व ज्ञानचंद ठाकुर का अहम भूमिका रहा है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480